बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)
आदेश

पटना, दिनांक.....

सं0 संख्या–08/आ०–05–07/2025...../निदेशक, प्राथमिक शिक्षा के आदेश ज्ञापांक 532 दिनांक 21.04.2026 के द्वारा संसूचित दण्डादेश के विरूद्ध श्री दिगम्बर ठाकुर, तत्कालीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, गोविन्दपुर, नवादा–सम्प्रति–सेवानिवृत्त के द्वारा अपील अभ्यावेदन समर्पित किया गया है। प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के आदेश ज्ञापांक 1039 दिनांक 11.09.2026 के आलोक में दिनांक 23.09.2026 को निर्धारित सुनवाई कतिपय कारणों से नहीं हो सकी।

अतः श्री ठाकुर के अपील अभ्यावेदन में रखे गये पक्ष पर उनके मामले की अगली सुनवाई दिनांक 27.10.2026 को अपराह्न 12:30 बजे सचिव, शिक्षा विभाग के कार्यालय कक्ष में निर्धारित की गई है।

ह०/–
(उर्मिला कुमारी)
उप निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।

ज्ञापांक–08/आ०–05–07/2025–1111 पटना, दिनांक 08.10.2026

प्रतिलिपिः–सचिव, शिक्षा विभाग के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक, प्राथमिक शिक्षा के प्रधान आप्त सचिव/श्री दिगम्बर ठाकुर, तत्कालीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, गोविन्दपुर, नवादा–सम्प्रति–सेवानिवृत्त, स्थायी पता–ग्राम+पोस्ट+थाना–बाबुबरही, मधुबनी– 847224, मो०नं०–9430509073 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. आई०टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को निदेश दिया जाता है कि इसे विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

8/10/26
उप निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।